10.4 अनुभव में अंकों की गणना एवं एक संस्था में एक पद पर 12 माह पूर्ण होने पर ही एक वर्ष का अंक दिया जावेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंकों की गणना नहीं की जावेगी।

10.5 अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियोक्ता का नियुक्ति आदेश संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिसके बिना अनुभव के अंको की गणना नही की जावेगी।

10.6 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम/एच.आर./2023/172/2132 नवा रायपुर 08.09.2023 अनुसार ए.एन.एम/नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत संविदा ए.एन.एम. पदों में भर्ती हेतु प्रतिवर्ष अनुभव का 04 अंक देते हुये अधिकतम 20 अंक तक दिया जावेगा । राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

10.7 मान्यता प्राप्त निजी संस्था से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को नियमानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जायेगा, किन्तु उन्हें अनुभव का अंक प्रदान नही किया जायेगा।

10.8 अवर सचिव छ.ग.शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रं.F1-67/2021/सत्रह –1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03/02/2023 मे प्राप्त निर्देशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतृर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा ।

10.9 कोविड–19 में कार्य किये जाने का बोनस अंक का लाभ केवल उन्ही अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिनके द्वारा कोविड–19 में कार्य करने का नियुक्ति तथा अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी/नियुक्तिकर्ता द्वारा जारी संलग्न किया गया हो।

10.10 कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक दिया जाना हैं एवं सामान्य स्थित में नियुक्त संविदा (अनियमित) कर्मचारी है उन्हे अनुभव के अधिकतम 10/15 अंक तक दिया जाना हैं। इस प्रकार एक ही अभ्यर्थी को दोनो अनुभव में से अधिकतम अंक दिया जावेगा।

11. भर्ती प्रकिया :–

11.1 निर्धारित समय सीमा में प्राप्त पात्र आवेदनों में से रिक्तयों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन/परीक्षा/कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट/क्लीनिकल स्किल बेस्ड टेस्ट हेतु बुलाया जावेगा–

क्रमांक	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्क्रीनिंग किये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना
3	50 से अधिक होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 03 गुना

11.2 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरते समय जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है केवल उन्ही दस्तावेज के संबंध में दावा आपत्ति मान्य किया जावेगा। अन्य कोई नवीन दस्तावेज दावा आपत्ति में मान्य नही किये जायेंगे।

12. अंतिम चयन सूची :–

12.1 पद क्रमांक 01 से 22 तक के लिए अंको का निर्धारण :–

- शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का 65 प्रतिशत अंक।
- कौशल/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार 20 अंक।
- अनुभव का अंक 10/15
- कम्प्युटर से संबंधित कार्य के लिए कम्प्युटर में कौशल परीक्षा ली जावेगी।

(अ) कम्प्युटर/कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा हेतु = (शैक्षणिक योग्यता + अनुभव का अंक + कोविड–19 बोनस अंक अधिकतम 10 अंक)

(ब) अंतिम चयन सूची = (शैक्षणिक योग्यता + अनुभव का अंक + कोविड–19 बोनस अंक अधिकतम 10 अंक + कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा के अंक)

12.2 **पद कमांक 24 से 32 तक के लिए अंको का निर्धारण :–**

- शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का 30 प्रतिशत अंक।
- तकनीकी योग्यता में प्राप्तांको का 35 प्रतिशत अंक।
- कम्प्युटर से संवंधित कार्य के लिए कम्प्युटर में कौशल परीक्षा ली जावेगी।
- कौशल/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार 20 अंक।
  (अ) कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा हेतु = (शैक्षणिक योग्यता+अनुभव का अंक + कोविड–19 वोनस अंक अधिकतम 10 अंक)
  (ब) अंतिम चयन सूची = (शैक्षणिक योग्यता + अनुभव का अंक + कोविड–19 वोनस अंक अधिकतम 10 अंक + कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा के अंक)

12.3 **पद कमांक 23, 33 एवं 34 के लिए अंको का निर्धारण :–**

- शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का 30 प्रतिशत अंक।
- तकनीकी योग्यता में प्राप्तांको का 30 प्रतिशत अंक।
- कौशल/लिखित परीक्षा 20 अंक।
- अनुभव का अंक 10/15/20
  (अ) कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा हेतु = (शैक्षणिक योग्यता+अनुभव का अंक + कोविड–19 वोनस अंक अधिकतम 10 अंक)
  (ब) अंतिम चयन सूची = (शैक्षणिक योग्यता + अनुभव का अंक + कोविड–19 वोनस अंक अधिकतम 10 अंक + कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा के अंक)

12.4 **पद कमांक 35 से 38 तक के लिए अंको का निर्धारण :–**

- शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का 85 प्रतिशत अंक।
  (अ) अंतिम चयन सूची = (शैक्षणिक योग्यता + अनुभव का अंक + कोविड–19 बोनस अंक अधिकतम 10 अंक)

13. **प्रतीक्षा सूचीः–**
उक्त पद के लिए वर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा उक्त पद के लिए नवीन भर्ती प्रकिया संपन्न होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद/त्याग पत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षाा सूची से भरा जा सकेगा। प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदो तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदो हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदो के लिए 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।

भाग – स

भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें एवं दिशा निर्देश

1. सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित है, संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्तें एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 एवं यथा संशोधित नियम अनुसार लागू होंगे।
2. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नही होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की जावेगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
3. संविदा मानदेय :– संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित आर.ओ.पी. अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नही होगा।
4. वार्षिक कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जावेगी ।
5. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी । इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देनी होगी अन्यथा एक माह का वेतन जमा करना होगा।
6. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थीयों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी। जिन अभ्यर्थीयों की जन्म तिथि पहले होगी (उम्र में बड़े होगे) प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Asingh 11.01.25